



प्रेषक,

के०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2026

विषय: बस स्टेशन रामपुर के निकट रिक्त भूमि पर डिपो कार्यशाला के नवनिर्माण कराये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-898बी/डीए/प०/25, दिनांक 16.09.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बस स्टेशन रामपुर के निकट रिक्त भूमि पर डिपो कार्यशाला के नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नामित कार्यदायी संस्था कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ०प्र० जल निगम) से आंकलित लागत धनराशि रू० 1372.21 लाख के प्रस्ताव का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा धनराशि रू० 1315.68 लाख आंकलित की गयी है।

2- प्रश्नगत बस स्टेशन रामपुर के निकट रिक्त भूमि पर डिपो कार्यशाला के नवनिर्माण कराये जाने हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू० 1315.68 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू० 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
- (3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनरीक्षित करा लिया जाय। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।
- (5) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रयोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाये। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रयोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुये 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध करा दिया जाय।
- (6) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप परिवहन निगम/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

- (7) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से संबंधित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।
- (8) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- (11) प्रश्रुत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (12) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।
- (13) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (14) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किया जाये, जिसका उत्तर-दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।
- (15) परिवहन निगम/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (16) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम का होगा।
- (17) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।
- (18) उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त व्यय की जायेगी।
- (19) परिवहन निगम/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करें कि कार्य की निविदा लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जाये।
- (20) परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित बस स्टेशन/डिपो पीपीपी माडल पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन/डिपो की सूची में सम्मिलित नहीं है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 043-परिवहन विभाग के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-0401-बस अड़्डों के निर्माण में अंशपूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 संख्या-E-9-249-X-2025-26- दिनांक: 11-2-2026में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 15 /2026 /1184(2)//तीस-1-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
11. नोडल अधिकारी (बजट आवंटन)/ परिवहन अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
12. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०/-

अरविन्द कुमार

अनु सचिव।